मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 3631
10 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए
एससीएम के अंतर्गत परियोजनाएं

3631. श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्री संजय जाधव:
श्री अरविंद सांवत:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत देश में पिछले पांच वर्षों में शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान एससीएम के तहत इन परियोजनाओं के लिए कितना धन आवंटित किया गया है तथा इस संबंध में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) का विस्तार नए शहरों और कस्बों तक करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) उक्त योजना के शुरू होने के बाद से कितने शहरों का नवीकरण किया गया है;

(च) क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत कस्बों को भी शामिल किया है और यदि हां, अतो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कस्बों और छोटे शहरों को कवर करने के लिए परियोजनाओं हेतु अलग से निधि का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) की शुरूआत की थी। जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 राउंड के माध्यम से 100 स्मार्ट सिटीज का चयन किया गया है। एससीएम दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार 100 स्मार्ट सिटीज को प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रु. अर्थात पांच वर्षों में कुल 48,000 करोड़ रु. तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय

(यूएलबी) द्वारा मैचिंग आधार पर समान राशि का योगदान दिया जाएगा। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है।

7 जुलाई 2023 तक, 100 स्मार्ट सिटीज द्वारा 7,978 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 5,909 परियोजनाएं (74%) पूरी हो चुकी हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्मार्ट सिटी-वार परियोजनाओं की प्रगति अनुलग्नक-I में दी गई है। 100 स्मार्ट सिटीज के लिए 73,454 करोड़ रु. जारी किए गए हैं; जिसमें से 66,023 करोड़ रु. (90%) का उपयोग किया जा चुका है। जारी/उपयोग की गई धनराशि (उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) और (घ): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को आगे बढ़ाने और 500 सिटीज में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश भर के सभी सांविधिक कस्बों/शहरों (लगभग 4,902 कस्बे/शहर) में जलापूर्ति और 500 अमृत सिटीज में सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 शुरू किया गया है। चल रहे अमृत मिशन को बढ़ा दिया गया है और इसे 31 मार्च 2024 तक केंद्रीय सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा।

(ड.): अमृत के तहत देश में 500 सिटीज का चयन (15 सिटीज का अन्य सिटीज में विलय के बाद अब 485 शहर) किया गया है। अमृत के तहत चयनित सिटीज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है।

(च): अमृत 2.0 मिशन के तहत 4,902 कस्बे/शहर शामिल किए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत चयनित सिटीज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-IV में दी गई है।

(छ): अमृत के तहत, वार्षिक बजटीय आवंटन को संवितरित करने के लिए एक न्यायसंगत सूत्र का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जनगणना 2011) की शहरी आबादी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक कस्बों की संख्या को बराबर (50:50) महत्व दिया जाता है। परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) अनुमोदित लागत के 20:40:40 की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। शीर्ष समिति द्वारा एसएएपी की मंजूरी के तुरंत बाद पहली किस्त जारी की जाती है। सेवा स्तर के बेंचमार्क की प्राप्ति के संबंध में आईआरएमए के प्रमाण पत्र और मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य दस्तावेजों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद अगली किश्तें जारी की जाती हैं।

अमृत के तहत, राज्यों द्वारा वित्त पोषण के लिए यूएलबी को प्राथमिकता दी जाती है। तदनुसार, राज्य एसएएपी के निर्माण के दौरान यह निर्णय लेते हैं कि राज्य, यूएलबी और

राज्य/यूएलबी (उदाहरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), बाजार उधार) द्वारा चिह्नित किसी अन्य स्रोत के बीच शेष वित्तपोषण किस प्रकार साझा किया जाएगा। राज्य का योगदान परियोजना लागत के 20% से कम नहीं हो सकता।

इसी प्रकार, अमृत 2.0 के तहत, परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधि का आवंटन शहरी आबादी (जनगणना 2011) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रफल को 90:10 के अनुपात में महत्व देते हुए संपूर्ण केंद्रीय परियोजना निधि को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संवितरित करके किया गया है। परियोजनाओं के लिए अनुमोदित लागत की तीन किस्तों अर्थात 20:40:40 के अनुपात में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण पैटर्न <u>अनुलग्नक-V</u> में दिया गया है।

****

मानननीय सांसदगण श्रीमती केशरी देवी पटेल; श्री संजय जाधव; और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एससीएम के तहत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.8.2023 के लोक सभा प्रश्न सं. 3631 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

स्मार्ट सिटीज की परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्मार्ट सिटी-वार प्रगति

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ स्मार्ट सिटीज	चल रही परियोजना		पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं		कुल	
	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	**12**	**683.32**	**7**	**39.65**	**19**	**722.97**
पोर्ट ब्लेयर	12	683.32	7	39.65	19	722.97
आंध्र प्रदेश	**76**	**3768.92**	**203**	**3083.39**	**279**	**6852.31**
अमरावती	7	302.86	12	627.15	19	930.01
काकीनाडा	22	787.11	72	1123.13	94	1910.24
तिरुपति	42	1562.56	63	424.27	105	1986.83
विशाखापत्तनम	5	1116.39	56	908.84	61	2025.23
अरुणाचल प्रदेश	**51**	**768.19**	**24**	**263.92**	**75**	**1032.11**
ईटानगर	25	369.55	7	151.06	32	520.61
पासीघाट	26	398.64	17	112.86	43	511.50
असम	**12**	**851.31**	**10**	**93.86**	**22**	**945.17**
गुवाहाटी	12	851.31	10	93.86	22	945.17
बिहार	**51**	**3028.94**	**92**	**2789.35**	**143**	**5818.29**
भागलपुर	11	687.16	14	842.32	25	1529.48
बिहारशरीफ	10	718.44	41	705.80	51	1424.24
मुजफ्फरपुर	16	964.31	12	220.78	28	1185.09
पटना	14	659.03	25	1020.45	39	1679.48
चंडीगढ़	**13**	**1479.42**	**85**	**1729.20**	**98**	**3208.62**
चंडीगढ़	13	1479.42	85	1729.20	98	3208.62
छत्तीसगढ़	**151**	**2929.76**	**379**	**2407.47**	**530**	**5337.23**
अटल नगर	42	737.40	11	206.36	53	943.76
बिलासपुर	70	1539.26	67	1081.12	137	2620.38
रायपुर	39	653.10	301	1119.99	340	1773.09
दादरा और नगर हवेली	**36**	**833.99**	**8**	**270.64**	**44**	**1104.63**
सिल्वासा	36	833.99	8	270.64	44	1104.63
दमन और दीव	**33**	**859.42**	**22**	**251.09**	**55**	**1110.51**
दीव	33	859.42	22	251.09	55	1110.51
दिल्ली	**32**	**578.16**	**106**	**709.49**	**138**	**1287.65**
एनडीएमसी	32	578.16	106	709.49	138	1287.65
गोवा	**23**	**669.88**	**26**	**383.89**	**49**	**1053.77**
पणजी	23	669.88	26	383.89	49	1053.77
गुजरात	**59**	**3384.95**	**285**	**9087.17**	**344**	**12472.12**
अहमदाबाद	3	792.59	67	2511.30	70	3303.89
दाहोद	12	325.75	25	672.99	37	998.74

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ स्मार्ट सिटीज	चल रही परियोजना		पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं		कुल	
	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि
गांधीनगर	8	506.00	26	500.86	34	1006.86
राजकोट	29	1167.63	42	993.84	71	2161.47
सूरत	3	245.88	79	2811.88	82	3057.76
वडोदरा	4	347.10	46	1596.30	50	1943.40
हरियाणा	**59**	**823.22**	**105**	**1340.07**	**164**	**2163.29**
फरीदाबाद	20	309.60	25	621.44	45	931.04
करनाल	39	513.62	80	718.63	119	1232.25
हिमाचल प्रदेश	**138**	**899.59**	**163**	**719.20**	**301**	**1618.79**
धर्मशाला	39	342.19	42	315.95	81	658.14
शिमला	99	557.40	121	403.25	220	960.65
जम्मू और कश्मीर	**122**	**3681.53**	**187**	**4055.30**	**309**	**7736.83**
जम्मू	40	2102.52	84	1479.35	124	3581.87
श्रीनगर	82	1579.01	103	2575.95	185	4154.96
झारखंड	**9**	**1345.22**	**18**	**1281.64**	**27**	**2626.86**
रांची	9	1345.22	18	1281.64	27	2626.86
कर्नाटक	**86**	**3971.92**	**828**	**11836.62**	**914**	**15808.54**
बेलगावी	16	1308.33	203	2205.89	219	3514.22
बेंगलुरु	8	159.08	42	916.82	50	1075.90
दावणगीर	15	472.41	112	1542.30	127	2014.71
हुब्बाल्ली, धारवाड़	6	969.39	72	1887.95	78	2857.34
मंगलुरु	23	667.73	80	1998.88	103	2666.61
शिवमोगा	6	86.32	103	1292.93	109	1379.25
तुमकुरु	12	308.66	216	1991.85	228	2300.51
केरल	**58**	**1698.60**	**80**	**1224.80**	**138**	**2923.40**
कोच्चि	23	832.98	41	847.95	64	1680.93
तिरुवनंतपुरम	35	865.62	39	376.85	74	1242.47
लक्षद्वीप	**4**	**108.87**	**5**	**4.76**	**9**	**113.63**
कावारत्ती	4	108.87	5	4.76	9	113.63
मध्य प्रदेश	**184**	**9703.16**	**619**	**9668.01**	**803**	**19371.17**
भोपाल	12	698.40	78	2737.09	90	3435.49
ग्वालियर	14	452.08	54	1019.80	68	1471.88
इंदौर	25	3509.91	221	2797.64	246	6307.55
जबलपुर	35	2321.55	102	933.55	137	3255.10
सागर	18	989.71	62	819.66	80	1809.37
सतना	43	981.11	38	408.97	81	1390.08
उज्जैन	37	750.40	64	951.30	101	1701.70
महाराष्ट्र	**73**	**6904.78**	**245**	**9511.80**	**318**	**16416.58**
औरंगाबाद	10	2263.97	36	1282.90	46	3546.87
कल्याण-डोम्बीवली	6	862.90	11	498.96	17	1361.86
नागपुर	20	933.82	10	1035.19	30	1969.01
नासिक	12	718.73	40	2558.83	52	3277.56
पिंपरी-चिंचवड	6	394.43	19	942.13	25	1336.56
पुणे	3	233.08	45	1589.62	48	1822.70
सोलापुर	5	629.08	43	627.48	48	1256.56
थाणे	11	868.77	41	976.69	52	1845.46

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ स्मार्ट सिटीज	चल रही परियोजना		पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं		कुल	
	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि
मणिपुर	**13**	**457.62**	**12**	**55.40**	**25**	**513.02**
इंफाल	13	457.62	12	55.40	25	513.02
मेघालय	**15**	**745.30**	**2**	**20.14**	**17**	**765.44**
शिलांग	15	745.30	2	20.14	17	765.44
मिजोरम	**36**	**389.81**	**7**	**123.49**	**43**	**513.30**
आइजोल	36	389.81	7	123.49	43	513.30
नागालैंड	**9**	**258.97**	**31**	**430.33**	**40**	**689.30**
कोहिमा	9	258.97	31	430.33	40	689.30
ओडिशा	**14**	**965.33**	**85**	**2707.30**	**99**	**3672.63**
भुवनेश्वर	9	607.71	26	1552.06	35	2159.77
राउरकेला	5	357.62	59	1155.24	64	1512.86
पुदुचेरी	**70**	**930.80**	**23**	**17.18**	**93**	**947.98**
पुदुचेरी	70	930.80	23	17.18	93	947.98
पंजाब	**53**	**3494.03**	**146**	**2278.90**	**199**	**5772.93**
अमृतसर	8	1467.91	34	1188.36	42	2656.27
जालंधर	20	1301.09	58	290.02	78	1591.11
लुधियाना	25	725.03	54	800.52	79	1525.55
राजस्थान	**59**	**1681.92**	**522**	**7384.85**	**581**	**9066.77**
अजमेर	19	477.54	159	1746.04	178	2223.58
जयपुर	25	725.48	151	2263.46	176	2988.94
कोटा	11	343.34	75	1791.20	86	2134.54
उदयपुर	4	135.56	137	1584.15	141	1719.71
सिक्किम	**45**	**1753.07**	**18**	**718.66**	**63**	**2471.73**
गंगटोक	32	1022.82	6	193.67	38	1216.49
नामची	13	730.25	12	524.99	25	1255.24
तमिलनाडु	**122**	**3110.58**	**588**	**14077.59**	**710**	**17188.17**
चेन्नई	5	272.59	43	824.29	48	1096.88
कोयंबटूर	11	678.68	61	776.14	72	1454.82
इरोड	11	224.45	43	1079.67	54	1304.12
मदुरै	0	0.00	16	1899.66	16	1899.66
सलेम	16	348.73	80	661.43	96	1010.16
तंजावुर	11	175.56	94	827.77	105	1003.33
थुथुकुडी	12	352.38	59	708.74	71	1061.12
तिरुचिरापल्ली	18	396.36	65	1151.32	83	1547.68
तिरुनेलवेली	25	257.90	59	1586.27	84	1844.17
तिरुपूर	4	269.21	24	2601.19	28	2870.40
वेल्लोर	9	134.72	44	1961.11	53	2095.83
तेलंगाना	**71**	**1582.97**	**59**	**1233.97**	**130**	**2816.94**
ग्रेटर वारंगल	41	807.98	38	815.81	79	1623.79
करीमनगर	30	774.99	21	418.16	51	1193.15
त्रिपुरा	**12**	**908.10**	**65**	**543.50**	**77**	**1451.60**
अगरतला	12	908.10	65	543.50	77	1451.60
उत्तर प्रदेश	**236**	**3971.81**	**640**	**16613.00**	**876**	**20584.81**
आगरा	1	1.88	61	2366.92	62	2368.80
अलीगढ़	18	562.36	34	1278.12	52	1840.48

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ स्मार्ट सिटीज	चल रही परियोजना		पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं		कुल	
	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि	परियोजनाओं की संख्या	धन राशि
बरेली	12	418.55	77	1058.42	89	1476.97
झांसी	19	331.30	60	1538.69	79	1869.99
कानपुर	14	324.82	78	2871.15	92	3195.97
लखनऊ	32	562.93	71	1563.48	103	2126.41
मुरादाबाद	15	593.93	24	906.74	39	1500.67
प्रयागराज	37	290.44	92	1231.14	129	1521.58
सहारनपुर	81	761.49	33	525.37	114	1286.86
वाराणसी	7	124.11	110	3272.97	117	3397.08
उत्तराखंड	**13**	**740.61**	**29**	**695.60**	**42**	**1436.21**
देहरादून	13	740.61	29	695.60	42	1436.21
पश्चिम बंगाल	**19**	**847.09**	**185**	**766.60**	**204**	**1613.69**
न्यू टाउन कोलकाता	19	847.09	185	766.60	204	1613.69
कुल योग	**2069**	**70,811.16**	**5909**	**108,417.83**	**7978**	**179,228.99**

(स्रोत: 7 जुलाई 2023 तक एससीएम भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस))

माननीय सांसदगण श्रीमती केशरी देवी पटेल; श्री संजय जाधव; और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एससीएम के तहत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.8.2023 के लोक सभा प्रश्न सं. 3631 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

एससीएम के तहत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी धन राशि (भारत सरकार+राज्य)	कुल उपयोग (भारत सरकार+राज्य)
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	445.00	365.68
2	आंध्र प्रदेश	3538.00	2726.43
3	अरुणाचल प्रदेश	629.82	559.06
4	असम	653.05	571.19
5	बिहार	2132.50	1900.71
6	चंडीगढ़	886.72	803.63
7	छत्तीसगढ़	1697.50	1464.60
8	दादरा और नगर हवेली	536.35	278.62
9	दमन और दीव	349.50	144.21
10	दिल्ली	692.00	566.39
11	गोवा	582.80	492.25
12	गुजरात	4997.75	4720.77
13	हरियाणा	1470.00	1224.14
14	हिमाचल प्रदेश	1065.64	928.75
15	जम्मू और कश्मीर	877.01	772.57
16	झारखंड	980.00	835.80
17	कर्नाटक	6113.00	5689.40
18	केरल	1232.55	996.74
19	लक्षद्वीप	196.90	44.41
20	मध्य प्रदेश	5665.00	5460.00
21	महाराष्ट्र	6143.60	5760.55
22	मणिपुर	272.23	256.63
23	मेघालय	349.00	304.20
24	मिजोरम	217.79	171.10
25	नागालैंड	405.25	353.24
26	ओडिशा	1887.93	1666.47
27	पुदुचेरी	304.00	162.55
28	पंजाब	2365.60	2110.80
29	राजस्थान	3665.00	3492.62
30	सिक्किम	821.15	780.14
31	तमिलनाडु	10898.28	10015.03
32	तेलंगाना	919.00	852.31
33	त्रिपुरा	529.79	458.13
34	उत्तर प्रदेश	8283.50	7672.72
35	उत्तराखंड	812.20	645.11
36	पश्चिम बंगाल	839.00	776.46
	कुल	**73,454.41**	**66,023.41**

(स्रोत: 7 जुलाई 2023 तक एससीएम भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस))

माननीय सांसदगण श्रीमती केशरी देवी पटेल; श्री संजय जाधव; और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एससीएम के तहत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.8.2023 के लोक सभा प्रश्न सं. 3631 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

अमृत के तहत चयनित सिटीज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अमृत मिशन सिटीज की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	33
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	4
5	बिहार	27
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	9
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2
9	दिल्ली	2
10	गोवा	1
11	गुजरात	31
12	हरियाणा	18
13	हिमाचल प्रदेश	2
14	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	3
15	झारखंड	7
16	कर्नाटक	27
17	केरल	9
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	34
21	महाराष्ट्र	44
22	मणिपुर	1
23	मेघालय	1
24	मिजोरम	1
25	नागालैंड	2
26	ओडिशा	9
27	पुदुचेरी	3
28	पंजाब	16
29	राजस्थान	29
30	सिक्किम	1
31	तमिलनाडु	28
32	तेलंगाना	12
33	त्रिपुरा	1
34	उत्तर प्रदेश	60
35	उत्तराखंड	7
36	पश्चिम बंगाल	55
	कुल	**485**

माननीय सांसदगण श्रीमती केशरी देवी पटेल; श्री संजय जाधव; और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एससीएम के तहत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.8.2023 के लोक सभा प्रश्न सं. 3631 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-IV

अमृत 2.0 के तहत चयनित सिटीज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अमृत 2.0 मिशन सिटीज की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	124
3	अरुणाचल प्रदेश	47
4	असम	96
5	बिहार	259
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	169
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3
9	दिल्ली	3
10	गोवा	14
11	गुजरात	165
12	हरियाणा	94
13	हिमाचल प्रदेश	68
14	जम्मू और कश्मीर	80
15	झारखंड	52
16	कर्नाटक	314
17	केरल	93
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	418
21	महाराष्ट्र	414
22	मणिपुर	27
23	मेघालय	10
24	मिजोरम	23
25	नागालैंड	39
26	ओडिशा	114
27	पुदुचेरी	7
28	पंजाब	167
29	राजस्थान	236
30	सिक्किम	7
31	तमिलनाडु	666
32	तेलंगाना	143
33	त्रिपुरा	20
34	उत्तर प्रदेश	782
35	उत्तराखंड	109
36	पश्चिम बंगाल	134
	कुल	**4902**

माननीय सांसदगण श्रीमती केशरी देवी पटेल; श्री संजय जाधव; और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एससीएम के तहत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.8.2023 के लोक सभा प्रश्न सं. 3631 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-V

अमृत के तहत परियोजनाओं का फंडिंग पैटर्न

शहरी स्थानीय निकाय	**केंद्रीय हिस्सा**
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर	परियोजना लागत का एक तिहाई भारत सरकार से अनुदान के रूप में
10 लाख तक की आबादी वाले शहर शहर/कस्बे	परियोजना लागत का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में
संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र द्वारा 100% परियोजना निधि
उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य	परियोजना की 90% निधियां केंद्र द्वारा

अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं का फंडिंग पैटर्न

शहरी स्थानीय निकायों	**केंद्रीय हिस्सा**
संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र द्वारा 100% परियोजना निधि
उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य	केंद्र द्वारा परियोजना निधि का 90%
एक लाख से कम आबादी वाले यूएलबी	केंद्र द्वारा परियोजना निधि का 50%
एक लाख से दस लाख तक की आबादी (दोनों सम्मिलित) वाले यूएलबी	केन्द्र द्वारा परियोजना निधि का 1/3 भाग
दस लाख से अधिक आबादी वाले यूएलबी	केंद्र द्वारा परियोजना निधि का 25% (पीपीपी मोड के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को छोड़कर)